।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

पत्रांक 3978 / 12-1 दिनांक अप्रैल 25 2016।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण।

विषयः– दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 429/1 एल0ए0 दिनांक 04–04–2016, पत्रांक रिक्त दिनांक रिक्त (ऑनलाईन की तिथि दि0 22–04–2016) एवं वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्ड़र राजि, देवाल का पत्रांक 508/12 दिनांक 18–04–2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्ड़र राजि द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के प्रस्ताव हेतु आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि के खसरा नम्बर 337, 341, 560, 684, 734, 971, 994, 1035, 1043 1040 मध्ये (बहत्तरा) का स्थलीय निरीक्षण वन दरोगा घेस के साथ किया गया जिसमें पाया गया कि चयनित भूमि पर ग्रामीणों द्वारा जगह–जगह पर कृषि हेतु खेत बनाये गये है तथा गौशाला/छप्पर बनाये गये है। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर खेत बनाये जाने एवं गौशाला/छप्पर बनाये जाने के कारण चयनित भूमि किसी भी स्थान पर पूर्ण रूप से खाली नहीं हैं, जिस कारण उक्त भूमि पर क्षतिपुरक वृक्षारोपण करना सम्भव नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपको पहले से कई बार अवगत कराया जा गया है, परन्तु आप द्वारा किसी अन्य जगह पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जगह देने के स्थान पर अनावश्यक पत्राचार किया जा रहा है, जिससे उक्त प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो सही नही है। आपके द्वारा पार्ट । में अपलोड़ की गयी के0एम0एल0 फाईल से भी उक्त स्थान में अतिक्रमण स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता हैं। आपके द्वारा दिनांक 22–04–2016 को ऑनलाईन किये गये पत्र में भी पत्रांक व दिनांक तक अंकित नही है। आप द्वारा ई0डी0एस0 से उत्तर देनें के स्थान पर उत्तर को पार्ट । में अपलोड़ कर दिया गया हैं। जिसे पार्ट । से हटाया जाना हैं।

अतः आप अपने स्तर से किसी अन्य भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि उक्त भूमि का निरीक्षण कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र किया जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।